सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2024 / 140 | दर्ज तिथिः—02.01.2024

प्रार्थी		अप्रार्थी
सरकार	बनाम	अशोक कुमार पुत्र रूघनाथराम वगैरह
जरिये तहसीलदार		जरिये अधिवक्ता श्री रामजीवन विश्नोई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—131, 136
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956
निर्णय तिथिः—17.01.2025

—:निर्णयः—

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना—पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर खसरा संख्या 818 / 8.1018 है0 मौजा खीचड़ों का वास तहसील गुड़ामालानी के मौके पर चालू कदीमी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में परिपत्र दिनांक 10.08.2016 तथा 30.09.2021 के अनुसार सार्वजनिक रास्ता अंकित करने का निवेदन किया है।

2. प्रार्थना—पत्र पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण जरीये असालतन—वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। अप्रार्थी संख्या 06 द्वारा प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा—151 सिविलि प्रक्रिया संहिता—1908 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजी संयुक्त खातेदारी की आराजी है। उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी के विभाजन को लेकर हाजा न्यायालय में वाद विचाराधीन है। उक्त संयुक्त खातेदारी के विभाजन के वाद के निर्णय के पश्चात् सभी खातेदारों को स्वतः ही रास्ता कायम हो जाएगा। अतः उक्त प्रार्थना—पत्र खारिज किया जावे।

3. पत्रावली का अवलोकन के पश्चात् ज्ञात होता है कि उक्त आराजी संयुक्त खातेदारी की आराजी है। साथ ही उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी के विभाजन को लेकर हाजा न्यायालय में वाद विचाराधीन है। उक्त संयुक्त खातेदारी के विभाजन के वाद के निर्णय के पश्चात् नियमानुसार सभी खातेदारों को स्वतः ही रास्ता कायम हो जाएगा। अतः हस्तगत प्रकरण में आवेदित रास्ता उक्त परिपत्रों के तहत नहीं आता है। अतः

आदेश है कि

वादी का उक्त राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:37 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.01.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:37 IST
Reason: SelfAttested